

सं. 107  
अ. 434  
प. 11  
रीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
**सतीश अरोड़ा बनाम राधेश्याम**  
**329/18 (जीसीएमएस नम्बर 2018/00370)**

नम्बर 329/18  
अ. 434  
हुकम की तारीख में  
जारी हुआ

08.09.21

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्त अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई फिर भी अपीलान्त की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं, प्रकरण में पुनः रूक रूककर आवाजें दिलवाई गई इसके उपरान्त भी अपीलान्त की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2018 से एडमिशन की बहस में विचाराधीन चल रहा है तथा अधिवक्ता अपीलान्त पूर्व में भी अनुपस्थित रहे हैं तथा आज भी अनुपस्थित हैं व अपीलान्त की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण अपील अपीलान्त अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

5/11/21  
(दिनेश कुमार यादव)  
संभागीय आयुक्त  
जयपुर